

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

बेरोजगार नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ है। निर्माण कार्यों की गति एवं गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से प्रशिक्षित निर्माण कर्मिकों जैसे पेटी ठेकेदार, सुपरवाइजर, फोर्मेन, राजमिस्ट्री, बढ़ई, ग्लास मिस्ट्री, इलेक्ट्रिशियन, भारी मशीनरी आपरेटर, जीप ड्राइवर आदि की मांग बढ़ रही है।

नया रायपुर क्षेत्र में निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों के बेरोजगार नवयुवकों का रोजगार मूलक व्यवसायों (ड्रेड्स) में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ग्राम क्याबांधा में छत्तीसगढ़ निर्माण अकादमी का प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इस केंद्र के माध्यम से नया रायपुर ग्रामों के परियोजना प्रभावित परिवारों के बेरोजगार नवयुवकों/महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान ₹ 1,000.00 प्रतिमाह प्रशिक्षणवृत्ति दिये जाने का प्रावधान भी है।

क्र.	ट्रेड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्लम्बर	2 माह	5 वीं उत्तीर्ण
2.	राजमिस्ट्री	2 माह	साक्षर
3.	इलेक्ट्रिशियन	2 माह	8 वीं उत्तीर्ण
4.	शटरिंग कारपेंटर	2 माह	5 वीं उत्तीर्ण
5.	लैण्ड सर्वेयर	2 माह	12 वीं उत्तीर्ण
6.	जनरल वर्क सुपरवाईजर	3 माह	12 वीं उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ निर्माण अकादमी के द्वारा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जनरल वर्क सुपरवाईजर तथा लैण्ड सर्वेयर ट्रेड में नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा अन्य ट्रेड में भी प्रशिक्षण दिये जायेंगे, जिसके लिये हितग्राहियों द्वारा आवेदन भरा जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन फार्म 2 जुलाई 2012 से भरे जावेंगे। इन ट्रेड में नया रायपुर क्षेत्र के निवासी बेरोजगार नवयुवक शीघ्र छत्तीसगढ़ निर्माण अकादमी क्याबांधा प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होकर जल्द पंजीयन करावें, जिससे क्षेत्र के बेरोगजार नवयुवकों को रोजगार मूलक व्यवसायों में अधिक से अधिक प्रशिक्षण का लाभ दिया जा सके।